राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे–III/8092 – 8113 दिनांक– 23/01/2013

आदेश संख्या 265/2012–13

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11.(7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट– I/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण मे निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारो जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 मे उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृखला पी0बी0–2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/– मे स्वीकृत की जाती है :–

क्र सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भंवर लाल गांधी	38/90	28.8.93 A/N	29.8.11	
2.	जगदीशप्रसाद	94/90	31.7.93	31.7.11	
3.	महेश कुमार जोशी	248/90	21.6.93	21.6.11	
4.	बृज मोहन महावर	351/90	1.9.93	1.9.11	
5.	बाबूलाल	393/90	8.9.93	8.9.11	
6.	जयशंकर राकांवत	399A/90	3.1.94	3.1.12	
7.	कमलेश कुमार गुप्ता	497/90	3.1.94	3.1.12	
8.	जयनारायण बैरवा	597/90	11.4.94	11.4.12	
9.	श्रीमती स्मिता उपाध्याय	DGS/90	7.11.94	7.11.12	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारो को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 मे दी हुई शर्तो के संबंध मे संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 3,4,5,7,8 एवं 9 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षो मे से 7 वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुन: खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 मे वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकरूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका मे की जावे।

निदेशक

क्रमांक– एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 90/अलेसे–III/8092–8113 दिनांक– 23/01/2013

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. श्री .... कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य मे वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुन: खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. एसीपी, कम्प्यूटर शाखा /निजी/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)